Gरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112020-223015
CG-DL-E-09112020-223015

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3549] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 9, 2020/कार्तिक 18, 1942
No. 3549] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 9, 2020/KARTIKA 18, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2020

का.आ. 4031(अ).—यत:, भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) के दिनांक 28 नवम्बर, 2000 के का.आ.2719 के आदेश का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) के दिनांक 30 सितम्बर, 2019 के का.आ.3598(अ) के आदेश के अंतर्गत निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) के अंतर्गत यथापेक्षित भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 03 अक्तूबर, 2019 को कुछ प्रस्ताव प्रकाशित किए गए जिनमें तद्द्वारा संभवत: प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से शासकीय राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अंतर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. एवं यत:, उक्त राजपत्र की प्रतियां 3 अक्तूबर, 2019 को आम लोगों को उपलब्ध करा दी गईं।

3. एवं यत:, उक्त अवधि के भीतर आम लोगों से कोई आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे।

4. एवं यत:, सर्वोच्च गुणवत्ता मानदंडों को बनाये रखना एवं स्वास्थ्य अपेक्षाओं को निर्धारित करना आवश्यक है जो राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अनुशंसित मानकों को सम्मिलित करेगा।

5. एवं यत:, दूध एवं दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, भंडारण एवं परिवहन के लिए स्वास्थ्य अपेक्षाएं निर्धारित की जानी चाहिए।

6. एवं यत:, विशेष रूप से, यह महत्वपूर्ण हैं कि प्रतिष्ठानों के अनुमोदन को शासित करने वाले नियम निर्धारित किए जाएं।

7. एवं यत:, यह भी महत्वपूर्ण है कि दूध एवं दुग्ध उत्पादों द्वारा पूरी की जाने वाली स्वास्थ्य अपेक्षाएं निर्धारित की जाएं।

8. एवं यत:, मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करना प्रसंस्करणकर्ता की जिम्मेदारी है कि दूध और दुग्ध उत्पाद इस आदेश में निर्धारित स्वास्थ्य अपेक्षाओं को पूरा करे।

9. एवं यत:, सक्षम प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य रूप से गुणवत्ता नियंत्रण जांच और निरीक्षण करना चाहिए कि प्रसंस्करणकर्ता उपरोक्त उल्लिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करें।

10. एवं यत:, इन गुणवत्ता नियंत्रण जांचों एवं निगरानी को शासित करने वाले नियमों को अनिवार्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांगों को ध्यान में रखना चाहिए।

11. एवं यत:, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझे जाने वाले तत्वों के अवशिष्टों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक औचक जांच अवश्य की जानी चाहिए।

12. एवं यत:, आयातक देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ के साथ समरूपता की उपरोक्त स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए निगरानी हेतु प्रावधानों की प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए।

13. एवं यत:, केंद्रीय सरकार के नामित सक्षम प्राधिकारी देश में गुणवत्ता मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करे।

14. एवं यत:, केंद्रीय सरकार ने उक्त उद्देश्य के लिए नीचे निर्दिष्ट प्रस्तावों का प्रतिपादन किया है और निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप–नियम (2) के द्वारा यथा-अपेक्षित उन्हें निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज दिया है।

15. अब, इसलिए, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में दिनांक 28 नवंबर, 2000 को प्रकाशित का.आ. 2719 का अधिक्रमण करते हुए एतद्वारा इस अधिक्रमण से पूर्व किए जाने वाले या न किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात केंद्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है :

(क) अधिसूचित करती है कि ऐसे मामलों में जहां आयातक देशों को ऐसे निर्यात प्रमाणन की आवश्यकता होती है, निर्यात से पहले दूध और दुग्ध उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण या निरीक्षण या दोनों के अध्यधीन होंगे;

(ख) गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण एवं निगरानी के प्रकार के रूप में गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण के प्रकार को दूध एवं दुग्ध उत्पादों के निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण एवं निगरानी) नियम, 2020 के अनुरूप निर्दिष्ट करती है जिसे निर्यात से पूर्व ऐसे दूध एवं दुग्ध उत्पादों पर लागू किया जाएगा।

(ग) इस आदेश में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विनिर्देशनों को दुग्ध उत्पादों के मानक विनिर्देशन के रूप में स्वीकार करती है।

(घ) जब तक कि यह इसपर लागू मानकों के समनुरूप न हों और निर्यात के प्रयोजन से ऐसे दूध एवं दुग्ध उत्पाद की प्रत्येक खेप के साथ एजेंसी द्वारा जारी निर्यात योग्यता का प्रमाणपत्र साथ में न हो, यह दूध एवं दुग्ध उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया में निर्यात की मनाही करती है।

16. इस आदेश का कोई भी भाग संभावित क्रेता को दूध एवं दुग्ध उत्पादों के वास्तविक नमूनों का भूमि या समुद्र या हवाई मार्ग से निर्यात पर लागू नहीं होगा, जिसका मूल्य समय-समय पर विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में निर्धारित अनुमति योग्य सीमाओं से अधिक नहीं होगा।

17. इस आदेश में, "दुग्ध" का अर्थ उसमें बिना किसी योग या उससे बिना निस्राव के, स्वस्थ दुधारू पशु के पूर्ण दोहन से व्युत्पन्न सामान्य स्तनीय स्राव होता है और यह प्रथमस्तन्य से मुक्त होगा; और 'दुग्ध उत्पाद' का अर्थ है: दूध के प्रसंस्करण से व्युत्पन्न उत्पाद, जिसमें दुग्ध उत्पादों के लिए कार्यात्मक रूप से खाद्य योजक एवं अन्य अंतर्वस्तुएं शामिल हों।

अनुसूची

निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 6 के खंड के अनुरूप स्वीकृत दूध एवं दुग्ध उत्पादों के लिए विनिर्देशन होंगे :

(क) आयातक देशों के राष्ट्रीय मानक जिसके अभाव में कोडेक्स एलीमेन्टेरियस कमीशन का कोडेक्स मानक।

(ख) ऊपर (क) के अभाव में विदेशी क्रेता एवं निर्यातक के बीच संविदात्मक विनिर्देशन लागू होंगे, बशर्ते कि वह राष्ट्रीय मानकों से कम न हो;

(ग) उपरोक्त (क) एवं (ख) के अभाव में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) एवं उसके अंतर्गत बने नियम एवं विनियम में निर्धारित विनिर्देशन लागू होंगे;

(घ) यदि किसी दूध या दुग्ध उत्पाद के मामले में उपरोक्त (क), (ख) एवं (ग) में कोई मानक उपलब्ध नहीं होने पर निम्नलिखित सदस्यों की स्थायी समिति द्वारा इन उत्पादों के लिए प्रतिपादित मानक लागू किए जाएंगे :-

1.	अध्यक्ष, निर्यात निरीक्षण परिषद	अध्यक्ष
2.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि	सदस्य
3.	पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
4.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	निदेशक राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल भारत के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	भारतीय डेयरी एसोसिएशन के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	निर्यात निरीक्षण परिषद के प्रतिनिधि	सदस्य

[फा.सं. के -16012/10/2019-नि.नि.]

दिवाकर नाथ मिसरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

ORDER

New Delhi, the 9th November, 2020

S.O. 4031(E).—Whereas, for the development of the export trade of India, certain proposals for superseding the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) S.O. 2719, dated the 28th November, 2000 was published as required under sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 3rd October, 2019 under order of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) number S.O. 3598 (E), dated the 30th September, 2019 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date of publication of the said order in the Official Gazette;

2. And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 3rd October, 2019;

3. And whereas no objections and suggestions were received from the public within the said period;

4. And, whereas, it is necessary to maintain the highest quality standards and stipulate health requirements that would encompass the standards prescribed in National or International level;

5. And, whereas, health requirements should be laid down for the production, storage and transport of milk and milk products;

6. And, whereas, in particular, it is important that rules be laid down governing the approval of establishments;

7. And, whereas, it is important also that the health requirements to be met by milk and milk products be laid down;

8. And, whereas, it is primarily the responsibility of the processors to ensure that milk and milk products meet the health requirements laid down in this order;

9. And, whereas, the Competent Authority must be carrying out Quality Control Inspection and monitoring to ensure that processors comply with the above mentioned requirements;

10. And, whereas, the rules governing these Quality Control Inspections and Monitoring must take account of the demands of the international market;

11. And, whereas, a random check must be made to detect the presence of residues of substances liable to be harmful to human health;

12. And, whereas provisions should therefore, be made as a procedure for monitoring to ensure the above conditions of equivalence with reference to the requirements of the importing countries;

13. And, whereas the Central Government nominated Competent Authority to ensure the effective compliance of the quality standards in the country;

14. And, whereas, the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Council as required by sub-rule (2) of the rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection)Rules, 1964;

15. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export, (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), and in supersession of the Order published in the Gazette of India vide S.O.2719 dated the 28th November, 2000 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the Export Inspection Council is of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of export trade of India hereby,-

(a) notifies that milk and milk products shall be subjected to quality control or inspection or both prior to export in cases where importing countries requires such an export certification;

(b) specifies the type of quality control and inspection in accordance with the Export of Milk and Milk Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2020 as the type of Quality Control, Inspection and Monitoring which shall be applied to such milk and milk products prior to export;

(c) recognises the specifications as set out in Schedule appended to this order as the standard specifications of milk and milk products;

(d) prohibits the export in the course of international trade of milk and milk products unless it conforms to the standards applicable to it and each and every consignment of such milk and milk product meant for export is accompanied by a certificate of export worthiness issued by the Agency.

16. Nothing in this order shall apply to the export by land or sea or air of bonafide samples of milk and milk products to prospective buyer, the value of which shall not exceed permissible limits as laid down in Foreign Trade Policy (FTP) from time to time.

17. In this order, "Milk" means the normal mammary secretion derived from complete milking of healthy milch animal, without either addition thereto or extraction therefrom, and it shall be free from colostrum; and "Milk Product" means a product obtained by processing of milk, which may contain food additives and other ingredients functionally necessary for the milk product.

SCHEDULE

Specifications for Milk and Milk products recognised as per clause (b) of section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 shall be:

(a) National Standard of the importing countries, in absence of which codex standards of Codex

Alimentarius Commission;

(b) In the absence of (a) above, contractual specifications between the foreign buyer and the exporter shall be applicable provided the same is not below the national standards;

(c) In absence of (a) and (b), above specification prescribed in the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) and rules and regulation made thereunder shall apply;

(d) In case of any Milk or Milk Products for which no standard is available at (a), (b) and (c) above, the standard formulated for these products by the Standing Committee of the following members shall be made applicable, namely:-

1.	Chairman, Export Inspection Council	Chairman;
2.	Representative from Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority	Member;
3.	Representative from Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare	Member;
4.	Representative from Food Safety and Standards Authority of India	Member;
5.	Representative from National Dairy Development Board	Member;
6.	Representative from Director National Dairy Research Institute Karnal of India	Member;
7.	Representative from Indian Dairy Association	Member;
8.	Representative of Export Inspection Council	Member.

[(F.No. K-16012/10/2019-Exp. Ins.]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2020

का.आ. 4032(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दुग्ध उत्पाद के निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनीटरिंग) नियम, 2000 का अधिक्रमण करते हुए ऐसे अधिक्रमण के पूर्व की गई और लोप की जाने वाली कार्रवाई को छोड़कर एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ – (क) इन नियमों को दूध एवं दुग्ध उत्पाद निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनीटरिंग) नियम, 2020 कहा जाएगा।

(ख) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा :- इस अधिसूचना में, जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी।

(क) 'अधिनियम' का अर्थ है निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22)

(ख) 'अभिकरण' का अर्थ है क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर स्थित इसके उप–कार्यालयों सहित निरीक्षण के लिए अधिनियम की धारा 7 के तहत मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, दिल्ली और चेन्नई में केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई भी निर्यात निरीक्षण अभिकरण;

(ग) 'बैच' का अर्थ है दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की मात्रा जिन्हें समान स्थितियों में तैयार किया गया है और विशेष रूप से एकल सतत परिचालन में उपचारित हो;